dk;ky; ifyl v/kh{kd tuin xk.Mk fnukd 20-11-2022

'kkfrHkx dh vk'kdk d eíutj ifyl }kjk dh x;h dk;okgh&

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल–23 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा–151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

05 okjVh vfHk;ä fxj¶rkj&

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाए जा रहे वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोंडा के थाना कोतवाली देहात पुलिस ने 03, थाना करनैलगंज पुलिस ने 02 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

vo/k 'kjkc d fu"d"k.k] fcØh o ifjogu d fo#) tuinh; ifyl }kjk dh xb dk;okgh&

01- Fkkuk ekrhxt }kjk dh x;h dk;okgh&

01. मोहन लाल पुत्र स्व0 बाले नि0ग्राम टेढिया मौजा गढवलिया थाना मोतीगजं गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–197/22, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02- Fkkuk rjcxt ifyl }kjk dh x;h dk;okgh&

01. श्रीमती राज कुमारी पत्नी धरम सिंह नि0 रेतादल सिंह थाना तरबगंज गोण्डा।के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–310/22, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

<u>l jkguh; dk;l</u>

<u>çsl uksV</u>

<u>ehfM;k lsy] tuin xks.Mk</u>

<u>fnukad 20-11-2022</u>

<u>iqfyl v/kh{kd xks.Mk vkdk'k rkse j ds funsZ'ku esa ,u0ch0MCY;w ¼okjaVh½@voS/k dPph 'kjkc ds fu"d"kZ.k@okafNr vfHk;qäksa dh fxj¶rkjh ds fo'ks"k vfHk;ku ds rgr xks.Mk iqfyl dh cMh dk;Zokgh] fofHkUu vijk/kksa esa dqy 61 O;fä fxj¶rkj&</u>

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारी/प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को विशेष अभियान तहत वारण्टी, अवैध कच्ची शराब के निष्कर्षण, वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने का अभियान चलाकर कार्यवाही करने के कड़े निर्देश दिये थे। जिसके परिपेक्ष्य में जनपदीय पुलिस द्वारा अपराधियों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की गयी है।

पुलिस अधीक्षक द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा कुल 61 अभियुक्तों को भिन्न–भिन्न मामलों में गिरफ्तार किया गया। गैर जमानतीय वारण्ट(एन0बी0डब्ल्यू) कार्यवाही में कुल 33 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। जिसमें थाना परसपुर से 07, थाना मनकापुर से 06, थाना खोड़ारे से 05, थाना कर्नैलगंज से 03, थाना कोतवाली देहात से 02, थाना खरगूपुर से 01, थाना छपिया से 01, थाना धानेपुर से 02, थाना तरगबजं से 01, थाना नवाबगंज से 01, थाना वजीरगंज से 01, थाना उमरीबेगमगंज से 01, थाना कौडिया से 02 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया। जनपदीय पुलिस ने अवैध कच्ची शराब के निष्कर्षण के विरूद्ध बड़ी कार्यवाही करते हुए 11 अभियुक्त गिरफ्तार कुल 130 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर अभियुक्तगणों के विरूद्ध संबंधित थानों द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी। तथा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल–17 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा–151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

जनपदीय पुलिस द्वारा की गयी इस कार्यवाही के अन्तर्गत पिछले 12 घण्टे में कुल–61 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक ने एन0बी0डब्लू (वारंटी), अवैध कच्ची शराब के निष्कर्षण, वाछिंत अभियुक्तों, अशांन्ति फैलाने वाले व अराजक तत्वो के विरूद्ध निरन्तर कार्यवाही करते हुए इस अभियान को जारी रखने के निर्देश दिये है।

<u>l jkguh; dk;l</u>

<u>çsl ukV</u>

<u>ehfM;k lsy] tuin xksaMk</u>

<u>fnukad 20-11-2022</u>

Fkkuk Nfi;k iqfyl us pksjh djus ds 02 vfHk;qäksa dks pksjh ds eky ds lkFk fd;k fxj¶rkj

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना छपिया पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान मु0अ0सं0 345/22 धारा 457, 380, 411 भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त 01. राजेश गुप्ता 02. कलीम कुरैशी को गिरफ्तार किया गया । उक्त अभियुक्तों ने वादी लालजी के चाय की दुकान से चोरी की थी। जिसके संबंध में थाना छपिया में अभियोग पंजीकृत था। अभियुक्त के विरूद्ध थाना छपिया पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

fxj¶rkj vfHk;qäx.k&

01. राजेश गुप्ता पुत्र स्व0 रामचन्द्र गुप्ता निवासी खालेगाव थाना छपिया, जनपद गोण्डा
02. कलीम कुरैशी पुत्र जुम्मन कुरैशी निवासी रानीजोत थाना छपिया जनपद गोण्डा।

iathकृr vfHk;ksx%&

01. मु0अ0सं0–345/2022, धारा 457,380,411 भादवि थाना छपिया जनपद गोण्डा।

cjkenxh

01. 02 अदद गैस सिलेण्डर

fxj¶rkj djus okyh Vhe%&

उ0नि0 बृजेश कुमार गुप्ता मय टीम।

l jkguh; dk;l
çl ukV
ehfM;k l y] tuin xk.Mk
fnukd 20-11-2022

ukckfyd yMdh dk cgyk&Qlykdj Hkxk y tku o mlds lkFk n"del djus dk okfNr vfHk;ä fe'ku 'kfä vfHk;ku d rgr fxj¶rkj&

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।
उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना करनैलगंज पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान नाबालिक लड़की को बहला–फुसलाकर भगा ले जा कर दुष्कर्म करने का वांछित अभियुक्त–शुभम गोस्वामी को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने थाना करनैलंगज क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिक लड़की को बहला–फुसलाकर भगा ले गया था तथा उसके साथ दुष्कर्म किया था। जिसके सम्बन्ध में थाना करनैलगंज में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अभियुक्त के विरूद्ध थाना करनैलगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

fxj¶rkj vfHk;ä&
01. शुभम गोस्वामी पुत्र देवेन्द्र प्रसाद गोस्वामी निवासी भदइया रामप्रसादपुरवा थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।

iathd`r vfHk;kx&
01. मु0अ0सं0–545/2022 धारा 363, 366, 376 भादवि व 3/4 पॉक्सो ऐक्ट थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।

fxj¶rkj djus okyh Vhe&
उ0नि0 मिर्जा वहीद बेग मय टीम।

<u>ekVj okgu vf/kfu;e d vUrxr 300 okguk l :0 3]60]200@& 'keu 'kYd cly fd;k x;kA</u>

पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर के निर्देशन में आज दिनांक 21.11.2022 को जनपद गोण्डा के सभी थाना क्षेत्रो में बैंक/वाहन/संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष/प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 300 वाहनों से रू0 3,60,200–/शमन शुल्क वसूल किया गया।